

कार्यालय :- प्राचार्य, माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय, तारानगर (चूरु)
दिनांक:-29.08.2023

संशोधित आवश्यक सूचना

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 192 दिनांक 28.08.2023 की अनुपालना में महाविद्यालय के बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष में स्वयंपाठी से नियमित प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 31.08.2023 को सायं 04.00 बजे तक अपना आवेदन फॉर्म आयुक्तालय की वेब साइट <https://hte.rajasthan.gov.in/departement-college-education> से डाउनलोड कर, भरकर जमा करवा सकते हैं तथा शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथी 31.08.2023 है।

नोट:- 1. महाविद्यालय में संचालित कला संकाय में विषय संयोजन में से जिन विद्यार्थियों के बी.ए प्रथम वर्ष में विषय होंगे वे विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं।

2. बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में स्वयंपाठी विद्यार्थी के 50 प्रतिशत से अधिक अंक व परिणाम उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी नियमित के लिए आवेदन कर सकता है।


प्राचार्य



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: ldacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550 (0);

Faculty
Q

क्रमांक : एफ 7 () प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2023/192

दिनांक : 28.08.2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय : स्नातक पार्ट द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए ऑनलाईन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि में अभिवृद्धि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 165 दिनांक 10.08.2023 की निरंतरता में स्नातक पार्ट द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए ऑनलाईन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2023 करने की अनुमति प्रदत्त की जाती है।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो. सीमा कश्यप)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kashyap
Designation: Associate Professor
Date: 2023.08.28 12:24:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4611780

